न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना (राज.)

तारीख हुक्म	मुकदमा सं. हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.12.2024	मुकदमा नम्बर– 929 / 2023 प्रहलादसिंह बनाम भोपालसिंह वगै0 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की तामील सम्यक रूप से होना पायी जाती है बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित अतः अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। वकील प्रार्थी ने बताया कि वादग्रस्त भूमि को लेकर विभाजन का वाद विचाराधीन है, जिसमें प्राथमिक डिक्री जारी हो चुकी है। उभय पक्षो को माननीय न्यायालय द्वारा अन्तरिम टी.आई से पाबन्द किया हुआ है। वकील अप्रार्थी द्वारा बहस के दौरान टी.आई कन्फर्म किये जाने पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की गयी। ऐसी स्थिति में न्यायहीत में पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश तादौराने वाद कन्फर्म किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है तथा उभय पक्षों को तादौराने वाद जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है की पूर्व में दिनांक 12.12.2023 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश तादौराने वाद कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल वाद के सलग्न हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (मुकेश चौधरी) उपखण्ड अधिकारी नीम का थाना	

Scanned with OKEN Scanner